

नं.  
हुक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल में  
जारी हुए।

रणजीत कान्त विमललाल का

7/6/18

पद्मावली राजस्य लाल ठाकुर /  
 कैंप कोर्ट ताखलदाद में पेश  
 हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो  
 अपीलानं 28 व रतनलाल नं.  
 कथन किमा डि वादीगण / अपीलानं 28  
 के पिता की मृत्यु के बाद ग्राम  
 पंचायत ताखलदाद द्वारा नं. प्र. 265  
 स्वीकृत करते समय गलती से हमारे  
 पिता परशुराम के वादियों के रूप में  
 सु व इल्लाराज दर्ज कर दिया जबकि  
 हमारा वादतंत्रिक कर्म कर्मशर रतनलाल  
 व रणजीत ही काना अपील पेश कर  
 इनिक्वेटन है जो नं. प्र. 285 परदाद  
 मडल ताखलदाद नं. व. 142 (निर्देश)  
 152 (पुरावे) में खातेदार, रतनलाल  
 निशानाराज, बाबूलाल, हणकानाराज, इल्लाराज  
 रणजीत पुत्रगण परशुराम, मोदनी पत्नी  
 परशुराम अ. हि. अ. जाने गाली शा.  
 नाराज हरदयालपुरा दर्ज कराने की  
 सुपा करें

अपीलानं तथा नैसर्गोइन्टय नं. 1/18

12/10/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम  
अहक  
हुक्म क  
जारी हुए

तारिख  
हुक्म

पुत्राराण पूर्णिया बापी के कार्यालय  
कीपील आवत कारी पूर्ण सदन

रूपीलांरस के दस्तावेजात जकाबन्दी  
सम्बत 2074-77 खसरा नम्बर - 142  
वादे काग नारसरा दरदयालपुरा, जकाबन्दी  
सम्बत 2074-77 खसरा नम्बर 107, 128, 133,  
184, 53, जकाबन्दी सम्बत 2074-77 खसरा  
नम्बर - 76, 77, नामान्तरण न. 285,  
रजप्रीत की वोट कार्ड-डी व पें कार्ड  
कार्ड कार्ड कार्ड पेश क्रिये जामिल  
पत्रावली के  
पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
दस्तावेजात का स्थानपूर्वक सपलीकरण  
क्रिया गया।

रूपीलांरस की अपील स्वीकार  
योग्य है।

रूपीलांरस की अपील स्वीकार  
श्री.प. ताखलसरा का मा.मा. 285  
ख.न. 142 रुकबा 2.23 है. पाके  
नारसरा दरदयालपुरा तहक - रजगद से  
श्री. दुलाराण के स्थान पर रजप्रीत त  
श्री. रतनलाल दुलाराण